



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2013-चैत्र 15, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मेसर्स साईं इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स स्थित 205, ग्लोबल अपार्टमेन्ट, इंकमटेक्स ऑफिस के सामने, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश में अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 5 श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री आर. एल. शर्मा, निवासी शारदा विहार, सिटी सेन्टर, ग्वालियर म. प्र. को दिनांक 24 फरवरी, 2012 को फर्म से अलग किया जा रहा है एवं उनके स्थान पर नवीन साझेदार पक्षकार क्रमांक 6 श्री ज्ञानेश शर्मा पुत्र श्री आर. एल. शर्मा, निवासी 113-114, शारदा विहार, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, म. प्र. को अपनी फर्म में दिनांक 24 फरवरी, 2012 को सम्मिलित किया जा रहा है जो भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है।

प्रार्थी

शान्ती देवी शर्मा

मेसर्स साईं इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स,
205, ग्लोबल अपार्टमेन्ट, इंकमटेक्स ऑफिस के सामने,
सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म. प्र.).

(383-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मेसर्स साईं इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स स्थित 205, ग्लोबल अपार्टमेन्ट, इंकमटेक्स ऑफिस के सामने, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश ने अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 3 श्री संजय परमार पुत्र श्री के. पी. परमार, निवासी 101, ग्लोबल अपार्टमेन्ट, इंकमटेक्स ऑफिस के सामने, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, म. प्र. व पक्षकार क्रमांक 4 श्री राजीव सिंह भदौरिया पुत्र स्व. श्री नरेन्द्र सिंह भदौरिया, निवासी 4, कैलाश नगर, न्यू हाईकोर्ट के पास, ग्वालियर, म. प्र. एवं पक्षकार क्रमांक 5 श्री ज्ञानेश शर्मा पुत्र श्री आर. एल. शर्मा, निवासी 113-114, शारदा विहार, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, म. प्र. को दिनांक 11 जून, 2012 को फर्म से अलग किया जा रहा है एवं उनके स्थान पर नवीन साझेदार पक्षकार क्रमांक 6 श्री भानुप्रताप सिंह परिहार पुत्र स्व. श्री वीरेन्द्र सिंह परिहार,

निवासी फर्स वाली गली, गुड़ा, ग्वालियर म. प्र. को अपनी फर्म में दिनांक 01 जून, 2012 को सम्मिलित किया जा रहा है, जो भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

प्रार्थी

संजय सिंह परमार,

पुत्र श्री कुअर पाल सिंह,

सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म. प्र.).

(382-बी.)

जाहिर सूचना

श्री राम पाहुजा, श्री रमेश पाहुजा पिता स्व. श्री विशनदासजी पाहुजा एवं श्री सुरेश पाहुजा पिता श्री राम पाहुजा द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म फिल एण्ड फ्लाय सर्विस, ए. बी. रोड, इन्दौर जिसमें उक्त तीनों भागीदार हैं. 01 अप्रैल, 2013 से श्री राम पाहुजा पिता श्री विशनदासजी पाहुजा इस फर्म से बतौर भागीदार सेवानिवृत्त हो रहे हैं एवं उनकी जगह श्री अंकुश पाहुजा पिता श्री सुरेश पाहुजा बतौर भागीदार शामिल कर लिए जाएंगे.

अभय जैन (एडवोकेट)

फ्लेट नंबर 201, गणेश निकेतन,

42, जती कॉलोनी, इन्दौर (म. प्र.).

(384-बी.)

नाम परिवर्तन

यह सूचित किया जाता है कि श्रीमती शिल्पा राय पत्नि श्री सुनित राय, पता गुलजारी का बगीचा, इन्दौर-भोपाल रोड, सीहोर (म. प्र.) का विवाह 30-01-2013 को सम्पन्न हुआ है. विवाह उपरान्त मैंने अपना नाम बदल लिया है. पूर्व में मेरा नाम दीपा शिवहरे पुत्री श्री प्रदीप शिवहरे था. वर्तमान में मैंने अपना नाम दीपा शिवहरे के स्थान पर शिल्पा राय रख लिया है. अतः भविष्य में भी मुझे दीपा शिवहरे के स्थान पर शिल्पा राय के नाम से ही जाना पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(दीपा शिवहरे)

नया नाम :

(शिल्पा राय)

पता-W/o Sunit Rai ,

गुलजारी का बगीचा, इन्दौर-भोपाल रोड,

सीहोर (म. प्र.) 466001.

(385-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम हेमलता आसुदानी पुत्री स्व. श्री किशनचन्द आसुदानी था. जो कि विवाह उपरान्त अब श्रीमती भावना अटलानी पत्नी डॉ. महेन्द्र अटलानी हो गया है. जो कि मेरे विवाह उपरान्त के सभी अभिलेखों एवं पति के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज है. अतः अब मुझे इसी नाम से पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(हेमलता आसुदानी)

नया नाम:

(भावना अटलानी)

टाईप-2, बी-37, भोपाल मेमोरियल हास्पिटल

केम्पस, रायसेन रोड, भोपाल (म. प्र.).

(386-बी.)

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम विनय कुमार घोचा है एवं मैं सभी जगह शासकीय एवं अशासकीय चल एवं अचल सम्पत्ति एवं अन्य सभी जगह पर अपना नाम विनय कुमार घोचा ही लिखता हूँ किन्तु मेरा पुत्र रविश पिता विनय कुमार जैन एवं इसी प्रकार मेरी पुत्री रवीना पिता विनय कुमार जैन लिखती है। अतः मेरे बच्चों के समस्त शासकीय एवं अशासकीय चल एवं अचल संपत्ति एवं अन्य सभी जगह पर मुझे मेरे नये उपनाम विनय कुमार जैन से लिखा-पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(विनय कुमार घोचा)

नया नाम :

(विनय कुमार जैन)

जी-1, सुची विला, 50, अनुराग नगर,
इन्दौर (म. प्र.).

(387-बी.)

जाहिर सूचना

यह है कि, हमारी फर्म मेसर्स औलिया साहब बिस्मिल्लाह साहब, लोहारमंडी, बुरहानपुर (म. प्र.) के पार्टनर—1. श्री मकतूम साहब, 2. श्री कमाल साहब, 3. श्री मोहम्मद अफजल साहब, 4. मोहम्मद ईस्माइल साहब थे. जिसमें से श्री मकतूम साहब का देहांत दिनांक 9-1-2010 को हो गया है व श्री कमाल साहब दिनांक 9-1-2010 से उपरोक्त फर्म से रिटायर हो चुके हैं. पार्टनरशिप डीड दिनांक 10-1-2010 से शेष पार्टनर श्री मोहम्मद अफजल और मोहम्मद ईस्माइल उपरोक्त फर्म मेसर्स औलिया साहब बिस्मिल्लाह साहब में पार्टनर रहे हैं.

M/s AULIYA SAHAB BISMILLAH SAHAB

मोहम्मद अफजल,

Partner.

(388-बी.)

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 11 मार्च, 2013

क्र. 04-02/195/यो.व.रू./609.—यह कि केन्द्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा 67 (2) एवं धारा 176 (2) ड के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (डीमूड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अति उच्च दाब विद्युत उपकेन्द्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने एवं राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेन्द्रों के बीच अति उच्च दाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 400, 220 एवं 132 किलो वोल्ट पारेषण लाइनों, उपकेन्द्रों एवं सम्बन्धित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं.

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:—

(1) नाम:—ये परियोजनायें 400, 220 व 132 किलो वोल्ट (के. वी.) लाइनों, उपकेन्द्रों व सम्बन्धित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी.

(2) परियोजनाओं का विवरण:—परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लम्बाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:—

(I) 400 केव्ही पारेषण लाइनें :

1. 400 के. व्ही. भिलाई (एकल परिपथ)—सिवनी लाईन के दोनों सर्किटों को बालाघाट/किरणापुर में प्रस्तावित 400 केव्ही उपकेन्द्र से होकर ले जाना लंबाई-30 कि.मी., अनुमानित लागत-2430 लाख रु.

(II) 400 केव्ही उपकेन्द्र कार्य :

1. बालाघाट/किरणापुर में 1×315 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-6060 लाख रु.
2. 400 केव्ही छेगांव उपकेन्द्र में 1 नग 315 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-2520 लाख रु.
3. 400 केव्ही उपकेन्द्र छेगांव में 1 नग 125 एमवीएआर, 400 केवी बस रियेक्टर की स्थापना, अनुमानित लागत-2400 लाख रु.
4. 400 केव्ही उपकेन्द्र भोपाल में 1 नग 80 एमवीएआर, 400 केवी बस रियेक्टर की स्थापना, अनुमानित लागत-1920 लाख रु.
5. 400 केव्ही उपकेन्द्र कटनी में 1 नग 80 एमवीएआर, 400 केवी बस रियेक्टर की स्थापना, अनुमानित लागत-1920 लाख रु.

(III) 220 केव्ही पारेषण लाइनें :

1. इन्दौर (400 केव्ही)-देवास (220 केव्ही) लाइन के दोनों सर्किटों को बिचौली-हबसी में प्रस्तावित 220 केव्ही उपकेन्द्र से होकर ले जाना लंबाई-5 कि. मी., अनुमानित लागत-330 लाख रु.
2. शुजालपुर-नरसिंहगढ़ डी.सी.एस.एस. लाइन, लंबाई-55 कि. मी., अनुमानित लागत-2970 लाख रु.
3. 132 केवी इन्दौर-2 (जैतपुरा)-इन्दौर (नार्थ जोन) डबल सर्किट लाइन का ट्यूबलर पोल स्ट्रक्चर उपयोग करते हुए संयुक्त मल्टी सर्किट लाइन के रूप में उन्नयन करते हुए 220 केव्ही इन्दौर-जैतपुरा लाइन के एक परिपथ को प्रस्तावित 220 केव्ही इन्दौर नार्थ जोन उपकेन्द्र में लीलो लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई-12 कि. मी. अनुमानित लागत-2000 लाख रु.
4. इन्दौर 400-इन्दौर-2 (जैतपुरा) 220 केवी लाइन के एक सर्किट को मांगलिया में प्रस्तावित 220 केव्ही उपकेन्द्र से होकर ले जाना, लंबाई-1 कि. मी., अनुमानित लागत-71 लाख रु.
5. 220 केवी इन्दौर-2 (जैतपुरा) इन्दौर (नार्थ जोन) लीलो लाइन को आईडीए स्कीम नं. 139 (निरंजनपुर) में प्रस्तावित 220 केवी उपकेन्द्र से होकर ले जाना, लंबाई-1 कि. मी., अनुमानित लागत-71 लाख रु.
6. इन्दौर 400-पीथमपुर 220 केवी लाइन को पीथमपुर में प्रस्तावित 132 केवी उपकेन्द्र को 220 केवी उपकेन्द्र में उन्नयित कर 220 केवी उपकेन्द्र से होकर ले जाना, लंबाई-5 कि. मी. अनुमानित लागत-355 लाख रु.
7. पीथमपुर 220-पीथमपुर 132 केवी डबल सर्किट लाइन का ट्यूबलर पोल स्ट्रक्चर उपयोग करते हुए संयुक्त मल्टी सर्किट लाइन के रूप में उन्नयन कार्य (नई लाइन) लंबाई-17 कि. मी., अनुमानित लागत-3700 लाख रु.
8. 220 केवी उज्जैन-बड़ोद-कोटा लाइन को प्रस्तावित 220 केवी भानपुरा से होकर ले जाना, लंबाई-2 कि.मी., अनुमानित लागत-284 लाख रु.

(IV) 220 केवी उपकेन्द्र कार्य :

नये उपकेन्द्र की स्थापना:—

1. मुरैना (जिला-मुरैना) में 160 एमवीए क्षमता के नये 220 केवी उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-3120 लाख रु.
2. भानपुरा (जिला-मंदसौर) में 160 एमवीए क्षमता के नये 220 केवी उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-3120 लाख रु.
3. कुक्षी (जिला-धार) में 160 एमवीए क्षमता के नये 220 केवी उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-3120 लाख रु.
4. इन्दौर साउथ जोन-2 (राजेन्द्रनगर) (जिला-इन्दौर) में 160 एमवीए क्षमता के नये 220 केवी उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-3026 लाख रु.
5. कटंगी (जिला-जबलपुर) में 160 एमवीए क्षमता के नये 220 केवी उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-3120 लाख रु.
6. इन्दौर (बिचौली हबसी) (जिला-इन्दौर) में 160 एमवीए क्षमता के नये 220 केवी उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-3360 लाख रु.
7. मांगलिया (जिला इन्दौर) में 160 एमवीए क्षमता के नये 220 केवी उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-2753 लाख रु.

अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना :

1. मण्डीदीप 220 केवी उपकेन्द्र में द्वितीय 160 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1080 लाख रु.
2. होशंगाबाद 220 केवी उपकेन्द्र में द्वितीय 160 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1080 लाख रु.
3. पिपरिया 220 केवी उपकेन्द्र में द्वितीय 160 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1080 लाख रु.
4. पांडुर्ना 220 केवी उपकेन्द्र में द्वितीय 160 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1080 लाख रु.
5. कोटर 220 केवी उपकेन्द्र में द्वितीय 160 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1080 लाख रु.
6. उज्जैन 220 केवी उपकेन्द्र में तृतीय 160 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1080 लाख रु.
7. इन्दौर-2, 220 केवी उपकेन्द्र में तृतीय 160 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1080 लाख रु.
8. जबलपुर 220 केवी उपकेन्द्र में चतुर्थ 160 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1080 लाख रु.
9. छिन्दवाड़ा 220 केवी उपकेन्द्र में द्वितीय 160 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1080 लाख रु.
10. बीना 220 केवी उपकेन्द्र में चतुर्थ 160 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1080 लाख रु.
11. सीधी 220 केवी उपकेन्द्र में द्वितीय 160 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1080 लाख रु.
12. बड़वाहा 220 केवी उपकेन्द्र में तृतीय 160 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1080 लाख रु.
13. पीथमपुर 220 केवी उपकेन्द्र में तृतीय 160 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1080 लाख रु.
14. भोपाल 220 केवी उपकेन्द्र में चतुर्थ 160 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1080 लाख रु.

(V) 132 केवी पारेषण लाईनें:—

1. कुशी-जोवट 132 केवी डीसीडीएस लाईन, लंबाई-30 कि.मी., अनुमानित लागत-1303 लाख रु.
2. पीथमपुर 220-पीथमपुर-III 132 केवी डीसीडीएस लाईन, लंबाई-15 कि.मी., अनुमानित लागत-652 लाख रु.
3. इन्दौर (साऊथ जोन-II) (कैट) महालक्ष्मी 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-35 कि.मी., अनुमानित लागत-1260 लाख रु.
4. जुलवानिया 400-शहपुरा 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-38 कि.मी., अनुमानित लागत-1368 लाख रु.
5. देवास 220 केवी-आगरौद 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-30 कि.मी., अनुमानित लागत-1080 लाख रु.
6. छेगांव 220 केवी-पंधाना 132 केवी डीसीडीएस लाईन, लंबाई-30 कि.मी., अनुमानित लागत-1303 लाख रु.
7. मनावर-कुक्सी डीसीडीएस लाईन के दोनों सर्किटों को सिंघाना में प्रस्तावित 132 केवी उपकेन्द्र से होकर ले जाना, लंबाई-20 कि.मी., अनुमानित लागत-869 लाख रु.
8. जुलवानिया 400-तलकपुरा 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-30 कि.मी., अनुमानित लागत-1080 लाख रु.
9. शुजालपुर 220-कालापीपल 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-25 कि.मी., अनुमानित लागत-900 लाख रु.
10. कुशी-अलीराजपुर 132 केवी लाइन का द्वितीय सर्किट, लंबाई-42 कि.मी., अनुमानित लागत-399 लाख रु.
11. 132 केवी बड़ोड-गरोठ लाईन के दोनों सर्किटों को शामगढ़ में प्रस्तावित 132 केवी उपकेन्द्र से होकर ले जाना, लंबाई-25 कि.मी., अनुमानित लागत-1086 लाख रु.
12. रतलाम-मेघनगर 132 केवी डीसीडीएस लाइन, लंबाई-20 कि.मी., अनुमानित लागत-869 लाख रु.
13. मेहगांव 220-प्रतापपुरा 132 केवी डीसीएसएस लाइन, लंबाई-30 कि.मी., अनुमानित लागत-1080 लाख रु.

14. 132 केवी सिरोंज-मकसूदनगढ़ लाइन के दोनों सर्किटों को लटेरी में प्रस्तावित 132 केवी उपकेन्द्र से होकर ले जाना, लंबाई-10 कि.मी., अनुमानित लागत-434 लाख रु.
15. दतिया 220-भीटरवार 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-35 कि.मी., अनुमानित लागत-1260 लाख रु.
16. ग्वालियर-II (220)-चीनोर 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-45 कि.मी., अनुमानित लागत-1620 लाख रु.
17. मुरैना 220-देवारी 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-30 कि.मी., अनुमानित लागत-1080 लाख रु.
18. सबलगढ़ 220-केलारस 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-25 कि.मी., अनुमानित लागत-900 लाख रु.
19. मुंगावली ट्रेक्सन फीडर के दोनों सर्किटों को मुंगावली में प्रस्तावित 132 केवी उपकेन्द्र से होकर ले जाना, (2 X डी/सी) लंबाई-10 कि. मी., अनुमानित लागत-434 लाख रु.
20. बीना 220-मुंगावली (द्वितीय सर्किट 2x35 कि.मी.) तृतीय कंडक्टर का स्ट्रिंगिंग कार्य, लंबाई-35 कि. मी., अनुमानित लागत-221 लाख रु.
21. मालनपुर 220-गोहद 132 केवी डीसीडीएस लाईन, लंबाई-22 कि.मी., अनुमानित लागत-955 लाख रु.
22. मंडीदीप 220-आदमपुर 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-25 कि.मी., अनुमानित लागत-900 लाख रु.
23. मुंगलियाछाप 220-मेहवड़िया 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-20 कि.मी., अनुमानित लागत-720 लाख रु.
24. मुंगलियाछाप 220-पत्रकार कॉलोनी 132 केवी डीसीडीएस लाईन, लंबाई-20 कि.मी., अनुमानित लागत-869 लाख रु.
25. मंडीदीप-होशंगाबाद 132 केवी लाईन के एक सर्किट को तामोट में प्रस्तावित 132 केवी उपकेन्द्र से होकर ले जाना, लंबाई-5 कि.मी., अनुमानित लागत-217 लाख रु.
26. दतिया 220-भांडेर 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-30 कि.मी., अनुमानित लागत-1080 लाख रु.
27. विदिशा 220-सलामतपुर 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-25 कि.मी., अनुमानित लागत-900 लाख रु.
28. बैरागढ़ 220-इंतखेड़ी 132 केवी डीसीडीएस लाईन, लंबाई-20 कि.मी., अनुमानित लागत-869 लाख रु.
29. चिचली 220-उदयपुरा 132 केवी डीसीडीएस लाईन, लंबाई-40 कि.मी., अनुमानित लागत-1738 लाख रु.
30. उदयपुरा-सिलवानी 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-25 कि.मी., अनुमानित लागत-900 लाख रु.
31. अशोकनगर 220-कोठिया 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-35 कि.मी., अनुमानित लागत-1260 लाख रु.
32. पिपरिया 220- बरेली 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-52 कि.मी., अनुमानित लागत-1872 लाख रु.
33. गैरतगंज-विदिशा 220, 132 केवी लाईन का द्वितीय सर्किट, लंबाई-49 कि.मी., अनुमानित लागत-464 लाख रु.
34. बैतूल 220-गुड़गॉव 132 केवी लाईन का द्वितीय सर्किट, लंबाई-57 कि.मी., अनुमानित लागत-540 लाख रु.
35. बालाघाट-वारासिवनी 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-25 कि.मी., अनुमानित लागत-900 लाख रु.
36. सीधी 220-मडवास 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-40 कि.मी., अनुमानित लागत-1440 लाख रु.
37. पनागर 220-ढीमरखेड़ा 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-25 कि.मी., अनुमानित लागत-900 लाख रु.
38. बुधेरा-बड़ामलेहरा 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-40 कि.मी., अनुमानित लागत-1440 लाख रु.
39. नरसिंहपुर 220-देवनगर 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-30 कि.मी., अनुमानित लागत-1080 लाख रु.
40. सिरमौर 220-अदरेला 132 केवी डीसीएसएस लाईन, लंबाई-30 कि.मी., अनुमानित लागत-1080 लाख रु.
41. नरसिंहपुर 220-करकबेल 132 केवी डीसीडीएस लाईन, लंबाई-50 कि.मी., अनुमानित लागत-2172 लाख रु.

42. करकबेल-बेलाखेड़ा 132 केवी डीसीएसएस लाइन, लंबाई-20 कि.मी., अनुमानित लागत-720 लाख रु.
43. छिंदवाड़ा 220-बड़कुही 132 केवी डीसीडीएस लाइन, लंबाई-45 कि.मी., अनुमानित लागत-1955 लाख रु.
44. बीना 220-खिमलासा 132 केवी डीसीएसएस लाइन, लंबाई-35 कि.मी., अनुमानित लागत-1260 लाख रु.
45. 132 केवी बालाघाट-बेनेगॉव लाइन के दोनों सर्किटों को बालाघाट/किरणपुर में प्रस्तावित 400 केवी उपकेन्द्र से होकर ले जाना (2×डी/सी) लंबाई-10 कि.मी., अनुमानित लागत-434 लाख रु.
46. बालाघाट-कटंगी 132 केवी लाइन के द्वितीय सर्किट से 132 केवी टेप लाइन, लंबाई-40 कि.मी., अनुमानित लागत-1738 लाख रु.
47. गोरबाजार-मनेरी 132 केवी लाइन के द्वितीय सर्किट लाइन, लंबाई-20 कि.मी., अनुमानित लागत-190 लाख रु.
48. मनेरी-मंडला 132 केवी डीसीएसएस लाइन, लंबाई-60 कि.मी., अनुमानित लागत-2160 लाख रु.
49. पांडुर्ना-मुलताई 132 केवी लाइन का द्वितीय सर्किट, लंबाई-40 कि.मी., अनुमानित लागत-379 लाख रु.
50. छतरपुर-खजुराहो 132 केवी लाइन का द्वितीय सर्किट, लंबाई-34 कि.मी., अनुमानित लागत-323 लाख रु.
51. पनागर 220-पाटन 132 केवी डीसीएसएस लाइन, लंबाई-40 कि.मी., अनुमानित लागत-1440 लाख रु.
52. बालाघाट 220-बैहर 132 केवी लाइन का द्वितीय सर्किट, लंबाई-50 कि.मी., अनुमानित लागत-474 लाख रु.
53. सिरमौर 220-कटरा 132 केवी डीसीएसएस लाइन, लंबाई-40 कि.मी., अनुमानित लागत-1440 लाख रु.
54. पनागर-कटंगी 132 केवी डीसीएसएस लाइन, लंबाई-24 कि.मी., अनुमानित लागत-984 लाख रु.
55. मालनपुर 220-अम्बाह 132 केवी लाइन को दिमनी में प्रस्तावित 132 केवी उपकेन्द्र से होकर ले जाना, लंबाई-6 कि.मी., अनुमानित लागत-288 लाख रु.
56. 132 केवी लाइन का मांगलिया 220 केवी उपकेन्द्र तक ट्यूबलर पोल स्ट्रक्चर पर विस्तार कार्य, लंबाई-1 कि.मी., अनुमानित लागत-150 लाख रु.
57. मुंगलियाछाप (एमएसीटी) लाइन का ट्यूबलर पोल स्ट्रक्चर पर निर्माण कार्य, लंबाई-15 कि.मी., अनुमानित लागत-2500 लाख रु.
58. जावरा-मंदसौर 132 केवी लाइन के द्वितीय सर्किट को दलोदा 220 केवी सबस्टेशन उपकेन्द्र से होकर ले जाना, लंबाई-1 कि.मी., अनुमानित लागत-52 लाख रु.
59. शिवपुरी 220-शिवपुरी 132 अंतर्सम्पर्क लाइन को राटोर में प्रस्तावित 132 केवी उपकेन्द्र से होकर ले जाना, लंबाई-2 कि.मी., अनुमानित लागत-96 लाख रु.
60. 132 केवी अशोकनगर-ईसागढ़ डीसीएसएस लाइन, लंबाई-40 कि.मी., अनुमानित लागत-1440 लाख रु.
61. 132 केवी सीतामऊ-दलौदा डीसीएसएस लाइन, लंबाई-30 कि.मी., अनुमानित लागत-1080 लाख रु.
62. 132 केवी बड़ोद-आलोट डीसीएसएस लाइन, लंबाई-34 कि.मी., अनुमानित लागत-1144 लाख रु.
63. बड़नगर 220-छायन 132 केवी डीसीएसएस लाइन, लंबाई-35 कि.मी., अनुमानित लागत-1260 लाख रु.
64. सीहोर-मुंगलियाछाप 132 केवी डीसीएसएस लाइन, लंबाई-26 कि.मी., अनुमानित लागत-1457 लाख रु.
65. 132 केवी होशंगाबाद-खतपुरा लाइन के द्वितीय परिपथ का निर्माण एवं 132 केवी उपकेन्द्र शाहगंज को 220 केवी होशंगाबाद से जोड़ने हेतु 132 केवी लाइन का निर्माण, लंबाई-27.8 कि.मी. (द्वितीय परिपथ) एवं 10 कि.मी., डीसीएसएस लाइन, अनुमानित लागत-841 लाख रु.

(VI) 132 केवी उपकेन्द्र कार्य

नये उपकेन्द्र की स्थापना:—

1. जोवट (जिला अलीराजपुर) में 63 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1272 लाख रु.
2. छाजन (जिला धार) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1062 लाख रु.
3. विस्तान (जिला खरगौन) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1062 लाख रु.
4. शामगढ़ (जिला मंदसौर) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1110 लाख रु.
5. तीसगाँव (जिला धार) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1062 लाख रु.
6. महालक्ष्मी (जिला इन्दौर) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1062 लाख रु.
7. पीथमपुर-III (जिला धार) में 63 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1272 लाख रु.
8. शहपुरा (जिला बड़वानी) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1062 लाख रु.
9. आगरौद (जिला उज्जैन) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1062 लाख रु.
10. पंधाना (जिला खण्डवा) में 63 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1272 लाख रु.
11. सिंघाना (जिला धार) में 63 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1200 लाख रु.
12. तलकपुरा (जिला खरगौन) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1062 लाख रु.
13. कालापीपल (जिला शुजालपुर) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1062 लाख रु.
14. प्रतापपुरा (जिला भिण्ड) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1062 लाख रु.
15. लटेरी (जिला विदिशा) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1110 लाख रु.
16. भितरवार (जिला ग्वालियर) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1062 लाख रु.
17. चिनोर (जिला ग्वालियर) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1062 लाख रु.
18. देवारी (जिला मुरैना) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1062 लाख रु.
19. केलारस (शिवपुरी) में 63 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1200 लाख रु.
20. मुंगावली (जिला अशोकनगर) में 63 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1248 लाख रु.
21. गोहद (जिला भिण्ड) में 63 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1272 लाख रु.
22. आदमपुर (जिला भोपाल) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1062 लाख रु.
23. मेहवाड़िया (जिला भोपाल) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1062 लाख रु.
24. पत्रकार कॉलोनी (जिला भोपाल) में 63 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1272 लाख रु.
25. तामोट (जिला रायसेन) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1110 लाख रु.
26. भांडेर (जिला दतिया) में 63 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1200 लाख रु.
27. नरसिंहगढ़ (जिला दमोह) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1062 लाख रु.
28. सलामतपुर (जिला रायसेन) में 40 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1062 लाख रु.
29. इंतखेड़ी (जिला भोपाल) में 63 एमवीए क्षमता के नये उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1272 लाख रु.

18. खरगौन में 40 एमवीए क्षमता के 132/33 ट्रांसफार्मर के स्थान पर 63 एमवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर की स्थापना कर उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि, अनुमानित लागत-552 लाख रु.
19. गरोठ में 20 एमवीए क्षमता के 132/33 ट्रांसफार्मर के स्थान पर 63 एमवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर की स्थापना कर उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि, अनुमानित लागत-558 लाख रु.

132 केवी फीडर बे का निर्माण कार्य :—

1. कुक्सी (3), बड़नगर (220) (1), खरगौन (1), धार (220) (1), जुलवानिया (400) (3), इन्दौर-(केट) (1), पीथमपुर (220) (2), देवास (220) (1), छेगांव (220) (2), शुजालपुर (220) (1), अलीराजपुर (1), पेटलावद (2) कुल 19 नम्बर अनुमानित लागत 1619 लाख रु.
2. मेहगांव (220) (1), दतिया (220) (2), ग्वालियर-2 (220) (1), मुरैना (220) (1), सबलगढ़ (220) (1), मालनपुर (220) (2), मंडीदीप (220) (1), मुंगलिया छाप (220) (3), शुजालपुर (220) (1), विदिशा (220) (2), बैरागढ़ (220) (3), चिचली (220) (1), उदयपुरा (1), अशोकनगर (220) (1), पिपरिया (220) (1), बरेली (1), गैरतगंज (1), बैतूल (220) (1), गुडगांव (1), शामगढ़ (1), अम्बाह (1), पोरसा (1), लहार (1), सेंधवा (1), कुल 31 नंबर अनुमानित लागत 2641 लाख रु.
3. बालाघाट (2), सीधी (220) (1), पनागर (220) (2), टीकमगढ़ (220) (2), दिगोदा (2), पृथ्वीपुर (2), बुधेरा (2), नरसिंहपुर (220) (3), सिरमौर (220) (2), करकबेल (1), छिन्दवाड़ा (220) (2), बीना (220) (1), कटंगी (1), गोरबाजार (1), मनेरी (2), मंडला (1), पांढुर्ना (1), मुलताई (1), छतरपुर (1), खजुराहो (1), पाटन (1), बैहर (1), कटरा (1) कुल 34 नंबर अनुमानित लागत 2470 लाख रु.

220/132 केवी उपकेन्द्रों में 2×12 एमवीएआर, 33 केवी एचटी शंट केपेसिटर की स्थापना का कार्य :—

रतलाम 220 केवी, मंडीदीप 220 केवी, जावरा 132 केवी, नागदा 220 केवी, दमोह 220 केवी, चापड़ा 132 केवी एवं भोपाल चम्बल 132 केवी उपकेन्द्रों में 14 नग शंट केपेसिटर, अनुमानित लागत 510.59 लाख रु.

220/132 केवी उपकेन्द्रों में 1×12 एमवीएआर, 33 केवी एचटी शंट केपेसिटर की स्थापना का कार्य :—

खाचरौद 132 केवी, हरदा 132 केवी, आलोट 132 केवी, कटनी 132 केवी, नरसिंहपुर 132 केवी, सैलाना 132 केवी, सुवासरा 132 केवी, कानवन 132 केवी, सागर 132 केवी, अमरवाड़ा 132 केवी, कैमोर 132 केवी, रीवा 220 केवी, खरगौन 132 केवी, गरोठ 132 केवी, देवास 220 केवी, बड़वानी 132 केवी, कोतमा 132 केवी, कन्नौद 132 केवी, रतनगढ़ 132 केवी, मंदसौर 132 केवी, शहपुरा 132 केवी, नीमच 132 केवी, मनासा 132 केवी, बैरसिया 132 केवी, कटनी 220 केवी, होशंगाबाद 220 केवी, मल्हारगढ़ 132 केवी, मनसकरा 132 केवी, रामपुर-बधेलान 132 केवी, मुलताई 132 केवी, सारणी 220 केवी, सनावद 132 केवी, मोरार 132 केवी, मुरैना 132 केवी, सिवनी 220 केवी एवं रीवा 132 केवी अनुमानित लागत लगभग रु. 1515.00 लाख.

(VII) डिपॉजिट कार्य :—

1. 132 के.व्ही. उपकेन्द्र खिलचीपुर से मे. एक्मे सोलर एनर्जी (एमपी) प्राय. लिमि. का खिलचीपुर के प्रस्तावित 25 मे.वा. सौर्य ऊर्जा पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र तक 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन का उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत निर्माण, लम्बाई-1 × 10.00 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 478.45 लाख.
2. 220 के.व्ही. उपकेन्द्र राजगढ़ में एनटीपीसी लिमि. के ग्राम गनेशपुरा, जिला-राजगढ़ में प्रस्तावित 50 मे.वा. फोटो वोलटेईक विद्युत उत्पादन संयंत्र तक 132 के. व्ही. द्वि-परिपथ लाईन का उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत निर्माण, लम्बाई-2× 6.00 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 452.00 लाख.
3. 132 के.व्ही. उपकेन्द्र कुक्षी से मे. एल्फा इन्फ्राप्रोप प्राय. लिमि. के ग्राम खैरवा, तहसील कुक्षी, जिला धार में प्रस्तावित 20 मे.वा. सौर्य ऊर्जा पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र तक 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत निर्माण, लम्बाई-1 × 20.00 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 935.49 लाख.

4. प्रस्तावित 220 के.व्ही. उपकेन्द्र भानपुरा (प्रस्तावित) से मे. अंबुजा सीमेन्ट के भानपुरा, जिला मंदसौर में प्रस्तावित सीमेन्ट प्लांट तक 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत निर्माण, लम्बाई-1 × 11.00 कि.मी., अनुमानित लागत रु.-601.39 लाख.
5. 132 के. व्ही. डीसीएसएस आरटीएस मंगलियागांव लाईन के द्वितीय परिपथ का उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत निर्माण, लम्बाई-9.0 कि.मी., सेकेंट सर्किट, अनुमानित लागत रु.-143.63 लाख.
6. 400 के.व्ही. उपकेन्द्र बीना से मेसर्स भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, आगासोद, तहसील बीना, जिला सागर के संयंत्र तक 220 के. व्ही. द्वितीय परिपथ लाईन का उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत निर्माण, लम्बाई-2 × 25.00 कि.मी., अनुमानित लागत रु.-2300 लाख.
7. 220 के.व्ही. उज्जैन/बाडौड-कोटा/मोदन लाईन का 220 के. व्ही. उपकेन्द्र, भानपुरा जिला मंदसौर (प्रस्तावित) में लिलो करने हेतु 220 केवी द्वि परिपथ लाईन का उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत निर्माण, लम्बाई-2 × 2.00 कि.मी., अनुमानित लागत रु.-285.31 लाख.
8. 132 के.व्ही. उज्जैन गांधीसागर लाईन का 220 के.व्ही. उपकेन्द्र, भानपुरा जिला मंदसौर (प्रस्तावित) में लिलो करने हेतु 132 केवी द्वि परिपथ लाईन का निर्माण, लम्बाई-2 × 30.00 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 1628 लाख.
9. 132 के.व्ही. एमएसीटी मंडीदीप लाईन को भोपाल विकास प्राधिकरण के सलैया भोपाल के पास में प्रस्तावित 132 के.व्ही. उपकेन्द्र, गिसरौद, फेस-1 में लिलो करने हेतु 132 केवी डीसीडीएस लाईन का उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत निर्माण, लम्बाई-2 × 2.00 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 750 लाख.
10. 220 के.व्ही. उपकेन्द्र, बैरागढ़ से भोपाल विकास प्राधिकरण के गांधीनगर भोपाल के पास बड़वानी में प्रस्तावित एरोसिटी, फेस-1, में प्रस्तावित उपकेन्द्र तक 132 केवी डीसीडीएस लाईन का उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत निर्माण, लम्बाई-1 × 6.00 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 200 लाख.
11. एमपीआरडीसी भोपाल के द्वारा भोपाल बाईपास रोड के निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. भोपाल-आष्टा लाईन का उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत संशोधन/विस्थापन लंबाई 1×1.00 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 35.02 लाख.
12. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा रा.मा.क्र.-7 के जबलपुर-लखनादौन भाग में 4-लेन रोड के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. जबलपुर-नरसिंहपुर लाईन का उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत संशोधन/विस्थापन लंबाई 1×2.5 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 50.12 लाख.
13. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा रा.मा.क्र.-7 के जबलपुर-लखनादौन भाग में 4-लेन रोड के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. जबलपुर-दमोह लाईन का उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत संशोधन/विस्थापन लंबाई 1×5.2 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 154.09 लाख.
14. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा रा.मा.क्र.-69 के बैतूल-नागपुर भाग के 4-लेन रोड में उन्नतिकरण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. बैतूल-छिन्दवाड़ा लाईन का लो. क्र.-67 से 72 तक उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत संशोधन/विस्थापन लंबाई 2×1.60 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 56.01 लाख.
15. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा रा.मा.क्र.-3 के इन्दौर-देवास भाग में 6-लेन रोड के निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. डीसीडीएस इन्दौर (400 के.व्ही.) इन्दौर (एसजेड) लाईन का लो. क्र.-7 से 8 तक उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत संशोधन/विस्थापन लंबाई 2×2.00 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 58.13 लाख.
16. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा रा.मा.क्र.-69 के नागपुर-सांवनेर-पांडुर्ना-बैतूल भाग में रोड का 2-लेन से 4 लेन में चौड़ीकरण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. पांडुर्ना-मुलताई लाईन का लो. क्र.-14 से 18 तक उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत संशोधन/विस्थापन लंबाई 1×1.10 कि.मी., अनुमानित लागत रु.43.34 लाख.
17. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा रा.मा.क्र.-69 के नागपुर-सांवनेर-पांडुर्ना-बैतूल भाग में रोड का 2-लेन से 4 लेन में चौड़ीकरण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. पांडुर्ना-मुलताई लाईन का लो. क्र.-24 से 34 तक उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत संशोधन/विस्थापन लंबाई 1×2.80 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 60.00 लाख.

18. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा रा.मा.क्र.-69 के ओबेदुल्लागंज-बैतूल भाग में 4 लेन रोड के निर्माण के फलस्वरूप 220 केव्ही इटारसी-जबलपुर लाईन का लो. क्र.-720 से 723 तक उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत संशोधन/विस्थापन लंबाई 2×1.100 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 44.10 लाख.
19. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा रा.मा.क्र.-69 के ओबेदुल्लागंज-बैतूल भाग में 4 लेन रोड के निर्माण के फलस्वरूप 33 केव्ही इटारसी-एचईजी लाईन का लो. क्र.-104 से 108 तक उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत संशोधन/विस्थापन लंबाई 2× 0.80 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 56.30 लाख.
20. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा रा.मा.क्र.-69 के ओबेदुल्लागंज-बैतूल भाग में 4 लेन रोड के निर्माण के फलस्वरूप 132 केव्ही होशंगाबाद-खतपुरा लाईन का लो. क्र.-62 से 67 तक उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत संशोधन/विस्थापन लंबाई 1×1.50 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 37.91 लाख.
21. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा रा.मा.क्र.-69 के ओबेदुल्लागंज-बैतूल भाग में 4 लेन रोड के निर्माण के फलस्वरूप 132 केव्ही इटारसी-पिपरिया लाईन का लो. क्र.-15 से 21 तक उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत संशोधन/विस्थापन लंबाई 1×1.00 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 31.87 लाख.
22. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा रा.मा.क्र.-69 के ओबेदुल्लागंज-बैतूल भाग में 4 लेन रोड के निर्माण के फलस्वरूप 132 केव्ही इटारसी-भोपाल लाईन का लो. क्र.-107 से 111 तक उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत संशोधन/विस्थापन लंबाई 2×1.20 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 65.71 लाख.
23. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा रा.मा.क्र.-69 के ओबेदुल्लागंज-बैतूल भाग में 4 लेन रोड के निर्माण के फलस्वरूप 220 केव्ही सारणी-इटारसी लाईन (सर्किट-3 एवं 4) का लो. क्र.-124 से 125 तक उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत संशोधन/विस्थापन लंबाई 2 × 0.90 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 39.29 लाख.
24. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा रा.मा.क्र.-69 के ओबेदुल्लागंज-बैतूल भाग में 4 लेन रोड के निर्माण के फलस्वरूप 220 केव्ही सारणी-इटारसी लाईन (सर्किट-1 एवं 2) का लो. क्र.-124 से 127 तक उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत संशोधन/विस्थापन लंबाई 2 × 0.90 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 47.80 लाख.
25. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा रा.मा.क्र.-69 के ओबेदुल्लागंज-बैतूल भाग में 4 लेन रोड के निर्माण के फलस्वरूप 220 केव्ही इटारसी-भोपाल लाईन का लो. क्र.-81 से 85 तक उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत संशोधन/विस्थापन लंबाई 2 × 1.30 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 74.68 लाख.
26. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा रा.मा.क्र.-69 के ओबेदुल्लागंज-बैतूल भाग में 4 लेन रोड के निर्माण के फलस्वरूप 400 केव्ही सारणी-इंदिरा सागर लाईन का लो. क्र.-100 से 103 तक उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत संशोधन/विस्थापन लंबाई 1 × 1.20 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 66.56 लाख.
27. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा रा.मा.क्र.-69 के ओबेदुल्लागंज-बैतूल भाग में 4 लेन रोड के निर्माण के फलस्वरूप 400 केव्ही इटारसी-भोपाल लाईन का लो. क्र.-204 से 207 तक उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत संशोधन/विस्थापन लंबाई 2 × 1.00 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 83.50 लाख.
28. रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा हबीबगंज-भोपाल बीना भाग में तीसरी रेलवे लाईन के निर्माण के फलस्वरूप 220 केव्ही भोपाल-सूखी सेवनिया लाईन का लो. क्र.-19 से 24 तक उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत संशोधन/विस्थापन लंबाई 2 × 1.00 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 170.21 लाख.
29. रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा हबीबगंज-भोपाल बीना भाग में तीसरी रेलवे लाईन के निर्माण के फलस्वरूप 220 केव्ही बीना-गुना लाईन का लो. क्र.-32 से 36 तक उपभोक्ता सहभागिता अन्तर्गत संशोधन/विस्थापन लंबाई 1 × 1.20 कि.मी., अनुमानित लागत रु. 114.75 लाख.

(VIII) कुल अनुमानित लागत : उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग 2166 करोड़ रु. है.

(3) टावर, खम्भे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अनुज्ञसिधारियों का संकर्म नियम, 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी. विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खम्भे, तार दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रख-रखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के सम्बन्ध में प्राप्त हैं.

(4) एतद्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं.

श्री. के. तिवारी,

मुख्य अभियंता (कारपोरेट अफेयर्स)

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,

शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर.

(381-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन

प्र. क्र. /बी-113/2012-13.

प्रारूप-चार

[नियम- 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,

लोक न्यास, उज्जैन,

जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि प्रतिनिधि श्री सय्यद हजरत शाह पिता श्री सय्यद अब्दुला जान शाह, निवासी 13/2, महाकाल मार्ग, उज्जैन ने मोलाना अबुल हसन अली नदवी एज्युकेशन वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 5 अप्रैल, 2013 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 5 अप्रैल, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	..	मोलाना अबुल हसन अली नदवी एज्युकेशन वेलफेयर एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट, उज्जैन.
कार्यालय	..	17/2, अमरपुरा, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक.
चल सम्पत्ति	..	निरंक.

(176)

आर. एस. मीना,
पंजीयक एवं संयुक्त कलेक्टर.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, सागर

फार्म-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

आवेदक श्री हरवंश कुमार गुप्ता पिता श्री रामजीलाल वैश्य, निवासी मोहननगर, वार्ड सागर श्री गणेश देव रिद्धि-सिद्धि रामजीलाल इन्द्रारानी बाई मिठया अयोध्यावासी वैश्य ट्रस्ट सागर (म. प्र.) तहसील सागर द्वारा नियम-4 (1) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर "श्री गणेश देव रिद्धि-सिद्धि रामजीलाल इन्द्रारानी बाई मिठया अयोध्यावासी वैश्य ट्रस्ट, सागर (म. प्र.)" न्यास के पंजीयन हेतु निवेदन किया है. जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 26 मार्च, 2013 को प्रातः 11.00 बजे की जावेगी.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	श्री गणेश देव रिद्धि-सिद्धि रामजीलाल इन्द्रारानी बाई मिठया अयोध्यावासी वैश्य ट्रस्ट, सागर.
पता	:	निवासी मोहननगर, वार्ड, सागर.
अचल सम्पत्ति	:	एक मकान, निचले तल में मंदिर श्री गणेश, माता रिद्धि-सिद्धि की प्रतिमा विराजमान. अचल सम्पत्ति का प्राक्कलित मूल्य 5,00,000.00.
अन्य चल सम्पत्ति	:	मंदिर का सामान पूजा के बर्तन कीमती, सोने, चांदी के आभूषण, लोहा, लकड़ी के साथ, चल सम्पत्ति का प्राक्कलित मूल्य 1,00,000.00.

(177)

रवीन्द्र चौकसे,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा

प्र. क्र. /बी-113 (1)/2012-13.

खण्डवा, जारी दिनांक 5 मार्च, 2013

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक

न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि आवेदक स्वामी रामसुंदर गिरी निवासी मौन साधना कुटी ओंकारेश्वर श्री चैतन्येश्वर महादेव ट्रस्ट, ओंकारेश्वर, तहसील पुनासा जिला खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता / अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता : श्री चैतन्येश्वर महादेव ट्रस्ट, ओंकारेश्वर, तहसील पुनासा जिला खण्डवा.

चल सम्पत्ति : 1. रुपये 25,000/- नगद.
2. ट्रस्ट के पास 4 गायेँ हैं.

अचल सम्पत्ति : ग्राम मांधाता प.ह.नं. 3 रा.नि.म. मांधाता तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा में स्थित मंदिर एवं आश्रम जिसका ख.नं. 7/1, क्षेत्रफल पश्चिम में 15 फुट उत्तर दक्षिण में 20 फुट, कुल क्षेत्रफल 300 वर्गफुट पर मंदिर तथा आश्रम.

(178)

प्र. क्र. /बी-113 (1)/2012-13.

खण्डवा, जारी दिनांक 5 मार्च, 2013

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक

न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर मोरानिया, कुन्बी पटेल न्यास ग्राम छिरवेल, तहसील खण्डवा, मध्यप्रदेश ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता / अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

- सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता : श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर मोरानिया, कुन्बी पटेल न्यास ग्राम छिरवेल, तहसील खण्डवा.
- चल सम्पत्ति : रुपये 2500/- नगद.
- अचल सम्पत्ति : 1. न्यास की अचल संपत्ति ग्राम छिरवेल में आबादी में स्थित श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर जिसकी चतुः सीमा इस प्रकार है:—
पूर्व में- आम रास्ता, पश्चिम में-रामलाल पिता फत्तूलाल का मकान, उत्तर में-बंशीलाल पिता रामलाल का बाड़ा, दक्षिण में-आम रास्ता.
2. न्यास के पास ग्राम छिरवेल प.ह.न. 32 खसरा न. 540, 292 रकबा क्रमशः 5.40, 1.35 कुल 6.75 है. भूमि.

(178-A)

प्र. क्र. /बी-113 (1)/2012-13.

खण्डवा, जारी दिनांक 5 मार्च, 2013

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक

न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि आवेदक प्रदिप कुमार जैन कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा श्री जीव दया एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान दयोदय तीर्थ अहिंसा स्थली एवं 1008 भगवान आदिनाथ जी अतिशय क्षेत्र दयोदय एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान दयादयतीर्थ बारगांव खुर्द, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा, ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता / अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

- सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता : श्री जीव दया एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान दयोदय तीर्थ अहिंसा स्थली एवं 1008 भगवान आदिनाथ जी अतिशय क्षेत्र दयोदय एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान दयादयतीर्थ बारगांव खुर्द, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा
- चल सम्पत्ति : 1. रुपये 21,000/- नगद.
2. ट्रस्ट के पास 17 गावें, 5 बछड़े हैं.
- अचल सम्पत्ति : निरंक.

(178-B)

प्र. क्र. /बी-113 (1)/2012-13.

खण्डवा, जारी दिनांक 5 मार्च, 2013

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि आवेदक ठा. अशोकसिंह बैस आत्मज शंकरसिंह बैस निवासी डा. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड बजरंग चौक, खण्डवा द्वारा ठा. उजागरसिंह बैस पारिवारिक न्यास डा. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड बजरंग चौक, खण्डवा, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 8 अप्रैल, 2013 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता / अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता : ठा. उजागरसिंह बैस पारिवारिक न्यास, बजरंग चौक, खण्डवा, तहसील व जिला खण्डवा.

चल सम्पत्ति : 1. रुपये 50,000/- नगद.
2. ट्रस्ट के पास 4 गायेँ हैं.

अचल सम्पत्ति : निरंक.

(178-C)

हरिसिंह चौधरी,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, नागदा, जिला उज्जैन (म. प्र.)

प्र. क्र. 04/बी-113/2009-10.

प्रारूप-चार

[नियम- 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास, नागदा,
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि संवाद हेतु न्यासी अध्यक्ष श्री देवजी पिता अमराजी चर्मकार निवासी ग्राम लसुडिया, जयसिंह पोस्ट दुर्गापुरा, तहसील नागदा जं. " श्री राम जानकी मंदिर गुजराती चर्मकार समिति " का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को प्रातः 11.00 बजे विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, नागदा, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	..	श्री राम जानकी मंदिर, गुजराती चर्मकार समिति, नागदा.
कार्यालय	..	जवाहर मार्ग गली नं. 1, नागदा जं. जिला उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	..	निल.

संतोष टैगोर,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(179)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“सारड़ा फाउण्डेशन” कार्यालय 21/4, रतलाम कोठी, मेनरोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से श्री भरत पिता राधेश्याम सारड़ा, निवासी 21/4, रतलाम कोठी, मेनरोड, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	“सारड़ा फाउण्डेशन”.
पता	:	21/4, रतलाम कोठी, मेनरोड, इन्दौर (म. प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र).

आज दिनांक 19 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(180)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“हजरत सय्यद साहेब सुल्तान साहेब जी (दरबारे अली, दरबार शरीफ) ट्रस्ट, ” कार्यालय 41/2, मोती तबेला, इन्दौर की ओर से श्री भरत पिता राधेश्याम सारङ्ग, निवासी 41/2, रतलाम कोठी, मेनरोड, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :	“हजरत सय्यद साहेब सुल्तान साहेब जी (दरबारे अली, दरबार शरीफ) ट्रस्ट” .
पता :	41/2, मोती तबेला, इन्दौर (म. प्र.).
अचल सम्पत्ति :	निरंक.
चल सम्पत्ति :	रुपये 2,000/- (अक्षरी रुपये दो हजार मात्र).

आज दिनांक 19 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

शरद श्रोत्रिय,
रजिस्ट्रार.

(180-A)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1544.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., कल्लोरा, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 685, दिनांक 15 अक्टूबर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1136, दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 से श्री एन. एस. वरोलिया, S.C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., कल्लोरा, पंजीयन क्रमांक 685, दिनांक 15 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(168-B)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1545.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., सिंगपुर, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 703, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1136, दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 से श्री एन. एस. बरोलिया, S.C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, सिंगपुर, पंजीयन 703 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(168-C)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1546.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., ग्वारखेड़ा, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 709, दिनांक 17 दिसम्बर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1136, दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 से श्री एन. एस. बरोलिया, S.C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., ग्वारखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 709, दिनांक 17 दिसम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(168-D)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1547.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., पन्हेरी, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 683, दिनांक 15 अक्टूबर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1136, दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 से श्री एन. एस. बरोलिया, S.C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, पन्हेरी, पंजीयन क्रमांक 683, दिनांक 15 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(168-E)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1548.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., गादेर, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 705, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1136, दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 से श्री एन. एस. बरोलिया, S.C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., गादेर, पंजीयन क्रमांक 705, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(168-F)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1549.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., लखनाखेडी, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 699, दिनांक 26 नवम्बर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1136, दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 से श्री एन. एस. बरोलिया, S.C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, लखनाखेडी, पंजीयन क्रमांक 699, दिनांक 26 नवम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(168-G)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1550.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., तिन्स्याई, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 704, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1136, दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 से श्री एन. एस. बरोलिया, S.C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., तिन्स्याई, पंजीयन क्रमांक 704, दिनांक 30 नवम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(168-H)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1551.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/173, दिनांक 31 जनवरी, 2007 से बालाजी फल-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सामरसिंगा, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 927, दिनांक 27 सितम्बर, 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1090, दिनांक 9 अक्टूबर, 2012 से श्री सी. एम. धूलिया, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालाजी फल-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सामरसिंगा, पंजीयन क्रमांक 927, दिनांक 27 सितम्बर, 2001 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(168-I)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1552—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/637, दिनांक 21 जनवरी, 2005 से गिराज फल-सब्जी सहकारी संस्था मर्या., महूगढ़ा, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 923, दिनांक 27 सितम्बर, 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1138, दिनांक 22 अक्टूबर, 2012 से श्री विजय गुप्ता, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गिराज फल-सब्जी सहकारी संस्था मर्या., महूगढ़ा, पंजीयन क्रमांक 923, दिनांक 27 सितम्बर, 2001 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(168-J)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1553.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/191, दिनांक 31 जनवरी, 2007 से महर्षि वाल्मिक उद्यमिता सहकारी संस्था मर्या., राधोगढ़, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 952, दिनांक 11 जून, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1197, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से श्री पी. के. वास्त्री, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महर्षि वाल्मिक उद्यमिता सहकारी संस्था मर्या., राधोगढ़, पंजीयन क्रमांक 952, दिनांक 11 जून, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(168-K)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1554.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से गांधी उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., भादौर, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 584, दिनांक 30 जुलाई, 1987 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1197, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से श्री पी. के. वास्त्री, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांधी उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., भादौर, पंजीयन क्रमांक 584, दिनांक 30 जुलाई, 1987 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(168-L)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1555.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/166, दिनांक 19 फरवरी, 2010 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुशेपुर, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 764, दिनांक 30 मई, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/983, दिनांक 27 सितम्बर, 2010 से श्री एफ. ए. खान, S.C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुशेपुर, पंजीयन क्रमांक 764, दिनांक 30 मई, 1995 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(168-M)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1556.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/3496, दिनांक 30 नवम्बर, 1982 से जनता मोटर ट्रांसपोर्ट सहकारी संस्था मर्या., गुना, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 1941, दिनांक 25 मई, 1955 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/984, दिनांक 16 सितम्बर, 2011 से श्री जे. एस. राणा, S.C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनता मोटर ट्रांसपोर्ट सहकारी संस्था मर्या., गुना पंजीयन क्रमांक 1941, दिनांक 25 मई, 1955 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(168-N)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1557.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/626, दिनांक 1 मई, 2002 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उकावदकलां, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 783, दिनांक 31 मार्च, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1091, दिनांक 9 अक्टूबर, 2012 से श्री विजय कुमार जैन, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उकावदकलां पंजीयन क्रमांक 783, दिनांक 31 मार्च, 1995 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(168-O)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1558.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/169, दिनांक 31 जनवरी, 2007 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अकोदा, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 749, दिनांक 9 जुलाई, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1091, दिनांक 9 अक्टूबर, 2012 से श्री विजय कुमार जैन, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अकोदा, पंजीयन क्रमांक 749, दिनांक 9 जुलाई, 1995 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(168-P)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1559.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/126, दिनांक 31 जनवरी, 2007 से गायत्री महिला प्रा. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., गुना, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 721, दिनांक 13 जुलाई, 1993 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1137, दिनांक 22 अक्टूबर, 2012 से श्री गोपाल शर्मा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गायत्री महिला प्रा. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., गुना, पंजीयन क्रमांक 721, दिनांक 13 जुलाई, 1993 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(168-Q)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1560.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/166, दिनांक 31 जुलाई, 2007 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लालौनी, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 960, दिनांक 25 सितम्बर, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/983, दिनांक 16 सितम्बर, 2011 से श्री एफ. ए. खान, S.C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी गुना, सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लालौनी, पंजीयन क्रमांक 960, दिनांक 25 सितम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(168-R)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1561.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1202, दिनांक 01 जनवरी, 2006 से आदिवासी बहु. सहकारी संस्था मर्या., कांसल, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 87, दिनांक 10 मई, 1952 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1521, दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 से श्री विजय गुप्ता, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी बहु. सहकारी संस्था मर्या., कांसल, पंजीयन क्रमांक 87, दिनांक 10 मई, 1952 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(168-S)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1562.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/626, दिनांक 1 मई, 2002 से सहरिया महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., रुठियाई, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 883, दिनांक 2 नवम्बर, 1998 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1198, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से श्री आर. सी. कोरी, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहरिया महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., रुठियाई, पंजीयन क्रमांक 883, दिनांक 2 नवम्बर, 1998 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(168-T)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1563.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/4981, दिनांक 7 अक्टूबर, 1979 से शासकीय कर्म. प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., गुना, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 482, दिनांक 23 अप्रैल, 1973 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/....., दिनांक..... से श्री विजय गुप्ता, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासकीय कर्म. प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., गुना, पंजीयन क्रमांक 482, दिनांक 23 अप्रैल, 1973 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(168-U)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1564.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/125, दिनांक 31 जुलाई, 2007 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चक चुरैला, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 761, दिनांक 30 मार्च, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1091, दिनांक 9 अक्टूबर, 2012 से श्री विजय कुमार जैन, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चक चुरैला, पंजीयन क्रमांक 761, दिनांक 30 मार्च, 1995 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(168-V)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1565.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/167, दिनांक 31 जनवरी, 2007 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामपुर कॉलोनी, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 465, दिनांक 13 सितम्बर, 1971 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1091, दिनांक 9 अक्टूबर, 2012 से श्री विजय कुमार जैन, C.I. को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है।

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामपुर कॉलोनी, पंजीयन क्रमांक 465, दिनांक 13 सितम्बर, 1971 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(168-W)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1566.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., लौडेरा, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 686, दिनांक 15 अक्टूबर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1202, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से श्री सतीश अग्रवाल, S.A. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., लौडेरा, पंजीयन क्रमांक 686, दिनांक 15 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(168-X)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1567.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., बागेरी, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 689, दिनांक 15 अक्टूबर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1202, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से श्री सतीश अग्रवाल, S.A. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., बागेरी, पंजीयन क्रमांक 689, दिनांक 15 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(168-Y)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1568.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., बिलौदा, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 690, दिनांक 15 अक्टूबर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1202, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से श्री सतीश अग्रवाल, S.A. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., बिलौदा, पंजीयन क्रमांक 690, दिनांक 15 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(168-Z)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1569.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., पांचौरा, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 687, दिनांक 15 अक्टूबर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1202, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से श्री सतीश अग्रवाल, S.A. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1). एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., पांचौरा पंजीयन क्रमांक 687, दिनांक 15 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(169)

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1570.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1231, दिनांक 28 अगस्त, 2000 से प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., हमीरपुर, जिला गुना, पंजीयन क्रमांक 691, दिनांक 26 नवम्बर, 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया, आदेश क्रमांक/परिसमापन/1202, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 से श्री सतीश अग्रवाल, S.A. को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना योग्य है.

अतः मैं, उमेश कुमार तिवारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना, सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथ. वृक्ष सहकारी संस्था मर्या., हमीरपुर पंजीयन क्रमांक 691, दिनांक 26 नवम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

उमेश कुमार तिवारी,

उप-पंजीयक.

(169-A)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2013-चैत्र 15, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के अनूपपुर, उमरिया, सीधी जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील जैतहरी, अनूपपुर, कोतमा (अनूपपुर), पाली, मानपुर (उमरिया), सिंहावल, मझौली, कुसमी, रामपुरनैकिन (सीधी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील गोपदवनास, चुरहट (सीधी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील बांधवगढ़ (उमरिया) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, सागर, दमोह, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, शाजापुर, देवास, राजगढ़, मण्डला, सिवनी व झाबुआ में रबी की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला सिंगरौली में फसल गेहूँ व डिण्डोरी में गेहूँ, चना, अलसी, मटर व श्योपुर, ग्वालियर, सागर, दमोह, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, देवास, मण्डला तथा सीधी, झाबुआ, खरगौन, राजगढ़, सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला टीकमगढ़ में फसल ज्वार व सिवनी में धान एवं मण्डला में कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, छतरपुर, सागर, शहडोल, उमरिया, बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य में प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012

	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) बाजरा, च्वार, मक्का, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिल, मूँगमोठ, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) उड़द, सोयाबीन, गन्ना अधिक. मक्का कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुंगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. ..
1. गुना	..				
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ज्वार की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार अधिक. अरहर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ा मलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, मसूर कम. गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगावां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
*जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्चुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, मसूर कम. तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, राई-सरसों, अलसी, चना, मसूर अधिक. राहर, कोदों, गेहूँ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	7.0				
2. अनूपपुर	6.8				
3. कोतमा	11.3				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, गेहूँ, चना, अलसी कम. राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	36.4				
2. पाली	6.0				
3. मानपुर	7.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, कम. अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	17.9				
2. सिहावल	17.0				
3. मझोली	2.0				
4. कुसमी	4.0				
5. चुरहट	32.5				
6. रामपुरनैकिन	1.0				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, अरहर, मूँग, अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, सरसों अधिक. चना कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. सीतामऊ	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	..				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापिपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन अधिक. ज्वार, मक्का, कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नौद 6. खातेगांव				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. रबी की जुताई एवं रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ, चना अधिक. टमाटर समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थानदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, गेहूँ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. राणापुर 4. सोण्डवा 5. उदयगढ़ 6. कट्टीवाड़ा				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महु (डॉ. अम्बेडकरनगर)				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. सनावद 3. महेश्वर 4. सेगांव 5. करही 6. खरगोन 7. गोगावां 8. कसरावद 9. मुल्ठान 10. भगवानपुरा 11. भीकनगांव 12. झिरन्या				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी:	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, कपास, ज्वार, मक्का अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
8. अंजड़	..				
9. बरला	..				
*जिला पूर्ण-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर अधिक. कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन अधिक. गन्ना, ज्वार कम. मक्का, मूँगफली, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा, मटर, राई-सरसों. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, ज्वार समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
*जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. बैतूल	..				
4. मुलताई	..				
5. आमला	..				
जिला होशंगाबाद	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) धान, सोयाबीन अधिक. गन्ना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		मूँगमोठ कम. उड़द समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	..		4. (1) धान, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. पाटन	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	..				
4. कुण्डम	..				
*जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) गेहूँ, चना, बाजरा, मसूर, अलसी.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, अलसी, मटर की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. डिण्डोरी	..		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी व खरीफ फसल धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. मटर, मसूर, तिवड़ा, लाख अलसी कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी, राई-सरसों, मटर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला रीवा, पूर्व निमाड़, सीहोर, रायसेन, कटनी, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(175)